अनुदान संख्या 44 – कंपनी कार्य विभाग
GRANT No. 44–DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	51,72,00	69,72,00	53,02,38	–16,69,62
पूरक	Supplementary	18,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,01,62
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	3,00,00	3,01,00	1,26,76	–1,74,24
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,73,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1669.62 लाख रु.) अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 1800.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 93 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1669.62 lakhs) constituted 93 percent of the supplementary grant of Rs.1800.00 lakhs obtained in August, 2003 and 24 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat–Economic Services				
मू.	O.	2226.00	1638.29	2114.40	+476.11
पु.	R.	–587.71			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''3475''	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	2946.00			
पू.	S.	1800.00	4532.09	3187.98	–1344.11
पु.	R.	–213.91			

(I) मुख्य शीर्ष ''3475'' – ''अन्य व्यय – राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण'' के अंतर्गत 45.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1045.40 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1005.99 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) गैर–वेतन व्यय की अधिकतम सीमा कम निर्धारित किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने और नवीकरण कार्य के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''3475'' – ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग''– 45.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 600.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 645.40 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 593.14 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''गंभीर छल–कपट अन्वेषण कार्यालय''– 46.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 246.40 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किराया, दरों और करों की कम अदायगी किए जाने के कारण 82.35 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा क्योंकि कंपनी कार्य विभाग में गठित किए गए नए संगठन को सरकारी भवन में स्थानांतरित किया गया था।

(I) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Company Law Tribunal (NCLT)" - the original provision of Rs.45.40 lakhs was augmented to Rs.1045.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1005.99 lakhs (including supplementary grant) due to low ceiling fixed for non-salary expenditure, non-filling up of vacant posts and non-utilisation of funds for renovation work.

(II) Supplementary grant obtained under the Major Head "3475" - "Other Expenditure" remained unutilised under the following heads to the extent shown against each:-

(A) "Competitions Commission of India (CCI)" - the original provision of Rs.45.40 lakhs was augmented to Rs.645.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.600.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.593.14 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Serious Fraud Investigation Office (SFIO)" - the original provision of Rs.46.40 lakhs was augmented to Rs.246.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.82.35 lakhs - due to less payment made towards rent, rates and taxes as the new organisation set up in Department of Company Affairs was shifted to Government building.

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कंपनी कार्य विभाग'' के अंतर्गत 111.60 लाख रु. की बचत (2226.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधुनिकीकरण की परियोजना की सहायता 10 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से अधिक किए जाने में योजना आयोग के अक्षम होने और साथ ही गैर-वेतन व्यय के लिए अधिकतम सीमा कम निर्धारित किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Company Affairs" - saving of Rs.111.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2226.00 lakhs) was due to inability of Planning Commission to support the project of modernisation for more than Rs.10 crores per year and also low ceiling fixed for non-salary expenditure.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''संयुक्त स्टाक कंपनियों का विनियमन - कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 123.97 लाख रु. का अधिक व्यय (1497.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधुनिकीकरण पर व्यय किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under the Major Head "3475" - "Regulation of Joint Stock Companies - Registrar of Companies under Companies Act" - excess of Rs.123.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1497.30 lakhs) was due to spending on modernisation.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	300.00			
पू.	S.	1.00	127.76	126.76	–1.00
पु.	R.	–173.24			

(I) ''अन्य व्यय - भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसरों/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण'' के अंतर्गत 174.24 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 301.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी रजिस्ट्रार के विभिन्न कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद के मूर्त रूप न ले पाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Purchase of land/building/ construction of Office Premises/ residential accommodation for staff" - saving of Rs.174.24 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.301.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2003) was due to non-materialistion of purchase of land for different offices of Registrar of Companies.